न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 4 / 2024

उनवान

1. महेश बाबानी पुत्र राधाकिशन बाबानी
2. चारू बाबानी पत्नी महेश बाबानी
3. अभिनव बाबानी पुत्र महेश बाबानी समस्त जाति सिन्धी निवासी 1020 दूधिया मौहल्ला, नसीराबाद

––– प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री नितेश यादव

बनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

–– अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 22.7.24

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नान्दला तहसील नसीराबाद के हाल खाता संख्या 240 / 200 के हाल खसरा नम्बर 1916 रकबा 0.16 व 1917 रकबा 0.47 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी में है। उक्त आराजी प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 07.12.23 को जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की है। प्रार्थीगण के पास उक्त आराजी पर आवागमन हेतु कोई रास्ता नही है। उक्त आराजी पर प्रवेश हेतु ग्राम नान्दला के खसरा नम्बर 4796 / 4729 में से आवागमन करते है। उक्त मार्ग की प्रार्थी को आत्यतिंक आवश्यकता है। खसरा नम्बर 4796 / 4729 सिवायचक है। इस मार्ग के अतिरिक्त प्रार्थी के पास अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थी को उक्त खसरा नम्बर में से 30 फिट चौडा मार्ग उपलब्ध कराया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार नसीराबाद से रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता व राज0 पैरोकार के तर्को पर मनन किया गया। ग्राम व पटवार मण्डल नान्दला तहसील नसीराबाद के हाल खाता संख्या 240 / 200 के हाल खसरा नम्बर 1916 रकबा 0.16 व 1917 रकबा 0.47 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी में है। प्रार्थीगण [illegible] आराजी पर आवागमन हेतु कोई रास्ता नही है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी पर –जाने हेतु खसरा नम्बर [illegible] से आवागमन कते है। उक्त मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नही है। [illegible] को उक्त मार्ग दिया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:15:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थी को रास्ते की आत्यतिक आवश्यकता है। तहसीलदार नसीराबाद की रिपार्ट में कोई विपरित तथ्य पेश नही है। धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु नवीन रास्ता उपलब्ध कराने की है। उक्त प्रकरण मे प्रार्थी रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 4769/4729 रकबा 3.37 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र "**स्वीकार**" किया जाता है। उक्त आराजी में से 9.14 मी. चौडा व 85 मी. लम्बा कुल 777 वर्ग मीटर रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी की डी0एल0सी0 दर से दो गुणा राशि 2,88,570/ अक्षरे दो लाख अठयासी हजार पाचं सौ सतर रूपये मात्र राजकोष में जमा होने के बाद उक्त रकबा सिवायचक खाते में गै.मु. रास्ता दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वय वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:15:29 IST
Reason: SelfAttested